प्रेस वज्ञप्ति

दिनांक: 11.10.2026

जनपद-भदोही

◆ गैंग लीडर राजू सेठ के गैंग के दो और गैंगस्टर अ भयुक्तों की गैर-प्रान्त से गरफ्तारी, थाना गोपीगंज पु लस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अ भयुक्ता को हरियाणा तथा अ भयुक्त मोहम्मद अरमान को गुजरात से कया गया गरफ्तार ।

◆ नकली आभूषणों को असली बताकर बैंकों के साथ कूटरचना एवं धोखाधड़ी कर आ र्थक क्षति पहुंचाने वाले संगठित गरोह के वरुद्ध कार्रवाई।

◆ गैंग लीडर राजू सेठ सहित गरोह के 10 स क्रय सदस्यों को पूर्व में गरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

सं क्षप्त ववरण-

पु लस अधीक्षक भदोही श्री अ भनव त्यागी के निर्देशन एवं अपर पु लस अधीक्षक भदोही श्री शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना गोपीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-0174/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गरोहबंद एवं समाज वरोधी क्रयाकलाप (निवारण) अ धनियम के अंतर्गत वांछित अ भयुक्त मोहम्मद अरमान एवं अ भयुक्ता को गरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गैंग लीडर राजू सेठ पुत्र बसन्तलाल एवं गरोह के 21 स क्रय सदस्यों द्वारा संगठित गरोह बनाकर आ र्थक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नकली आभूषणों को असली प्रमा णत कर बैंकों के साथ कूटरचना एवं धोखाधड़ी करते हुए आ र्थक क्षति पहुंचाने जैसे अपराध कारित कए जाने के संबंध में अ भयोग पंजीकृत कया गया था। इस प्रकरण में गैंग लीडर सहित गरोह के 10 स क्रय सदस्यों को पूर्व में गरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

 गरोह एवं आपरा धक गति व धयों का ववरण:-

 गरोह के सदस्य संगठित होकर आ र्थक, भौतिक एवं अन्य अनु चत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक को आ र्थक क्षति पहुँचाने हेतु नकली आभूषणों को असली आभूषण के रूप में प्रमा णत कराकर बैंक के साथ कूटरचना एवं धोखाधड़ी जैसी आपरा धक गति व धयाँ कारित करते थे। गरोह के भय एवं दबाव के कारण लोग उनके वरुद्ध शकायत करने अथवा गवाही देने से कतराते थे। उक्त गति व धयों के सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पर पूर्व में मु0अ0सं0 150/2025, मु0अ0सं0 254/2024 एवं मु0अ0सं0 255/2024, धारा 419/420/120बी/409/467/468/471 भा0द0 व0 के अन्तर्गत अ भयोग पंजीकृत कया गया है। इन

अ भयोगों के आधार पर गरोह की गति व धयों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिनांक 05.05.2026 को मु0अ0सं0 0174/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अ भयोग पंजीकृत कया गया।

गरफ्तारी का ववरण:-

वांछित अ भयुक्त मोहम्मद अरमान पुत्र छेदी शाह, निवासी कटरा बाजार, थाना कोईरौना, जनपद भदोही को गुजरात प्रान्त के सूरत शहर एवं वांछित अ भयुक्ता को हरियाणा प्रान्त के गुरुग्राम से गरफ्तार कया गया। दोनों गरफ्तार अ भयुक्तों के वरुद्ध सम्बन्धित अ भयोग में अ ग्रम आवश्यक व धक कार्रवाई प्रच लत है।

गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण:-

1.मोहम्मद अरमान पुत्र छेदी शाह, निवासी कटरा बाजार, थाना कोईरौना, जनपद भदोही, उम्र करीब 24 वर्ष।

2.अ भयुक्ता

पंजीकृत अ भयोग:-

मु0अ0सं0 0174/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गरोहबंद एवं समाज वरोधी क्रयाकलाप (निवारण) अ धनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट), थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।

गरफ्तारी करने वाली पु लस टीम:-

उ0नि0 सन्तदेव संह, उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, का0 मनोज यादव, का0 सुनील वर्मा एवं म0का0 गायत्री ताम्रकार थाना गोपीगंज जनपद भदोही।